



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 1104/10 धारा-323,504,506 भा0द0स0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससीएसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अशोक पाल पुत्र मनफूल पाल निवासी ग्राम शेखुपुर, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष के कारावास व ₹ 10,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक  
विजय सिंह



विवेचक-  
सीओ जोगेन्द्र लाल



पैरोकार- थाना कुरारा  
का0 संजीत कुमार